

SHRI S. C. DEB: May I know whether the Defence Minister thinks that developments may take place when an international airport may have to be located in some other area?

SHRI V. K. KRISHNA MENON: That question is under consideration. Whether the military airport should go or the other one should go, that has yet to be decided. There are many considerations which I would not like to discuss at this preliminary stage.

PAYMENT OF OVER-TIME ALLOWANCE TO GOVERNMENT EMPLOYEES

*445. SHRI V. M. CHORDIA: Will the Minister of FINANCE be pleased to refer to the answer given to Starred Question No. 284 in the Rajya Sabha 'on the 25th June, 1962 and state:

(a) whether the higher ceiling of overtime allowance applies to all Government employees where they have generally no option but to work overtime all the year round, e.g., persons employed in the Central Registry Sections of the Ministries;

(b) whether the persons working in the Parliament Sections of the Ministries also have no option but to work overtime in the public interest; and

(c) if so, for how many months in a year the seasonal work of the nature mentioned in part (b) above continues?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRIMATI TARKESHWARI SINHA) : (a) The higher ceiling prescribed for overtime earnings, at 50 per cent, of the monthly emoluments, applies to personal staff only. There is no other category of office staff whose nature of work is fully comparable to that of personal staff. The staff employed in the Central Registry Sections in the Secretariat, for instance, is generally put on overtime duty by rotation and

their work is also intermittent in character. They cannot, therefore, be compared with the personal staff.

(b) and (c) Persons working in the Parliament Sections of Ministries have generally to work overtime only during those months when the Parliament is in session and not throughout the year as in the case of personal staff.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरङ्गिया :

यह जो पार्लियामेंट सेक्रेटैरियट के कर्मचारी हैं जिनको सेशन के वक्त अधिक समय तक काम करना पड़ता है, जिनको ऐसी स्थिति में उस समय जो विशेष काम करना पड़ता है, उसको ध्यान में रखते हुए, उनको सीलिंग से कुछ अधिक देने की कोई योजना है अथवा नहीं ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : जैसा कि मैंने अपने उत्तर में बताया, चूंकि उनको साल भर इतना काम नहीं करना पड़ता है इसलिये भी ओवरटाइम का कोई निश्चित सिलसिला उनके बारे में कायम नहीं किया जा सकता। जो और लोगों के लिये इन्तजाम किया गया है वही उन पर भी लागू है और लागू रहेगा।

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरङ्गिया :

साल में सात मास तो उनको ओवरटाइम काम करना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में साल के सात महीनों में उनको विशेष एलाउंस दिया जाय। क्या इसके बारे में सरकार विचार करेगी ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : हमने तो सब के साथ एक ही विचार किया है और एक तिहाई ओवरटाइम एलाउंस का जो फैसला है उसी के मुताबिक सब को दिया जाता है अलावा उनके जो कि पर्सनल स्टाफ हैं—अफसरों या मिनिस्ट्रों के पर्सनल स्टाफ हैं। उनके बारे में यह फैसला किया गया है कि उनको तनख्वाह का ५० प्रतिशत ओवरटाइम एलाउंस मिले। उनके अलावा और

किसी के बारे में यह फैसला नहीं किया गया है।

श्री नवाबसिंह चौहान : जैसा कि माननीय उपमंत्री महोदय ने बताया कि जो संसद् का मंत्रालय है, सेक्रेटैरियट है, उसने सचिवालय को साल में कुछ ही समय काम करना पड़ता है, तो क्या इसका अर्थ हम यह समझें कि जब काम नहीं रहता है तब बिल्कुल ही काम नहीं करते हैं या यह कि ओवरटाइम नहीं करते हैं ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैंने यह तो नहीं कहा। साल भर ओवरटाइम नहीं करते हैं। काम तो होता है, कोई दफ्तर तो बन्द नहीं हो जाता है।

श्री नवाबसिंह चौहान : क्या कारण है कि जब संसद् बैठती है, तो जितने समय तक ये लोग ओवरटाइम काम करते हैं उतने समय के लिये पूरा ओवरटाइम एलाउंस नहीं दिया जाता है ? अगर ऑफ सेशन के काम नहीं करते होते, तो उससे इक्वेट किया जा सकता है इस समय के अधिक काम को लेकिन जब ऐसा नहीं है, तो क्या माननीय उपमंत्री महोदय यह उचित नहीं समझती हैं कि जब वे अधिक काम करते हैं, तो उनको पूरे समय का ओवरटाइम दिया जाय ?

श्री मोरारजी देसाई : यह अनुचित होगा ज्यादा देना, क्योंकि फिर लोभ बढ़ता जाता है ज्यादा ओवरटाइम के लिये और जब काम करना है तब काम कम होता है। ज्यादा देना बिल्कुल नामुनासिब है और गवर्नमेंट नहीं देगी।

श्री ए० बी० वाजपेयी : क्या आपका यह मतलब है कि कर्मचारी बिना काम के ओवरटाइम करते हैं ?

श्री मोरारजी देसाई : करते थे। ऐसा अनुभव है।

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया :

जब वह सात मास तक ओवरटाइम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जब उनको पूरा ओवरटाइम एलाउंस नहीं देना है तब क्या उन दिनों के लिये सस्टीट्यूट स्टाफ, टेम्पोररी तरीके पर इंगेज करने की व्यवस्था माननीय मंत्री महोदय करेंगे जिससे कि उनको ओवरटाइम नहीं करना पड़े और ओवरटाइम एलाउंस भी नहीं देना पड़े और दूसरे स्टाफ की निपुक्ति भी हो जाये ?

श्री मोरारजी देसाई : यह तो सवाल नहीं है, चर्चा है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : ओवरटाइम तो मिलता है।

श्री सभापति : सवाल इससे साफ हो जायगा कि इन लोगों को कभी ओवरटाइम मिलता है या नहीं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : ओवरटाइम तो इनको मिलता है लेकिन उस दर से नहीं मिलता, यानी वेतन का ५० प्रतिशत नहीं मिलता और वेतन का एक तिहाई सवा तैतीस प्रतिशत मिलता है।

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : एक तिहाई तो मिलता है लेकिन हम चाहते हैं कि उन्हें आधा तक मिले क्योंकि उनको इन सात महीनों में अधिक काम करना पड़ता है, उनको ओवरटाइम का जो आधा हिस्सा है उससे भी अधिक काम करना पड़ता है ?

श्री सभापति : यह तो आपकी राय है। सवाल का जवाब उन्होंने दे दिया है।

SHRI D. B. DESAI: May I know if the personal staff of the Ministers are given 50 per cent, of their emoluments for overtime work?

SHRIMATI TARKESHWARI SINHA: Not in all cases. The Ministers and the officers concerned have to certify

that they worked overtime for that period and then only they are paid.

SHRI D. B. DESAI: Does it apply to Parliamentary staff here?

SHRIMATI TARKESHWARI SINHA: It is not proposed to do that.

SHRI NIREN GHOSH: May I know the reasons why the 50 per cent, overtime allowance should not be given to the Parliamentary staff?

SHRI MORARJI R. DESAI: The reasons have already been given. One cannot give further reasons.

श्री अ - एम - टारक : मैं वजोरे
मालियत से यह जानना चाहता हूँ कि जो
उन्होंने यह फरमाया कि जो वुजरा-ए-किराम
हैं उनके पर्सनल स्टाफ को एक खास
मिकदार से ज्यादा मिलता है, तो इस
डिस्क्रीमिनेशन की वजह क्या है? उनके
स्टाफ को एक खास हद तक ओवरटाइम
एलाउन्स क्यों मिलता है?

श्री अ - एम - टारक : मैं वजोरे
मालियत से यह जानना चाहता हूँ कि जो
उन्होंने यह फरमाया कि जो वुजरा-ए-किराम
हैं उनके पर्सनल स्टाफ को एक खास
मिकदार से ज्यादा मिलता है, तो इस
डिस्क्रीमिनेशन की वजह क्या है? उनके
स्टाफ को एक खास हद तक ओवरटाइम
एलाउन्स क्यों मिलता है?

श्री मोरारजी देसाई : यह "वुजरा-ए-
किराम" क्या है, समझ में नहीं आया।

SHRI NIREN GHOSH: May I know why there is discrimination between one set of staff and another?

MR. CHAIRMAN: That has been explained by the Deputy Minister.

श्री अ - एम - टारक : मैं वजोरे
मालियत से यह जानना चाहता हूँ कि जो
उन्होंने यह फरमाया कि जो वुजरा-ए-किराम
हैं उनके पर्सनल स्टाफ को एक खास
मिकदार से ज्यादा मिलता है, तो इस
डिस्क्रीमिनेशन की वजह क्या है? उनके
स्टाफ को एक खास हद तक ओवरटाइम
एलाउन्स क्यों मिलता है?

श्री सभापति : आपने जो पहले कहा है
उसको ही दुहरा देना है।

श्री सभापति : आपने जो पहले कहा है
उसको ही दुहरा देना है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : जी हाँ,
मैंने तो कह ही दिया है, और माननीय सदस्य
को मैं कहूँगी कि जो मैंने पहले जवाब दिया है
उत्तको फिर से अपने मन में दुहरा लें।

*446. [The questioner (Shri Niran-jan Singh) was absent. For answer, vide col. 2229 infra.]

*447. [The questioner (Shri Suript i Singh Atwal) was absent. For answer, vide cols. 2229-30 infra.]

MISAPPROPRIATION OF MILK MEANT FOR SCHOOL CHILDREN

'448. SHRI M. P. BHARGAVA: Will the Minister of EDUCATION be pleased to state:

(a) whether Government have received any complaints that the milk meant for distribution to the children in Delhi schools is not being given to the school children but is being misappropriated; and

(b) if so, what steps have been taken to rectify the matter?